<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
अपील,राकेशकुमारपरमार बनाम सरकार (जिला रसद अधि0 धौ0)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 32/2020)</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</th></tr>
<tr><td>9.2.2021</td><td>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः रसद/सू.अ./2021/198 दिनांक 9.2.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना पत्र कमांकः रसद/सू.अ./2021/11 दिनांक 05.2.2021 के जरिये अपीलार्थी श्री राकेश कुमार परमार को जरिये रजिस्टर्ड डांक से सूचना भेज दी गई है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है।

अतः इस प्रकार अपीलान्ट को सूचना रजिस्टर्ड डांक से भेज दी गई है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर</td><td></td></tr>
</table>